भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **20**

दिनांक **17.07.2017** को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाना

20. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु कोई विशिष्ट धनराशि निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य और विशेषकर तेलंगाना राज्य में कितनी–कितनी बस्तियां आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं; और

(ग) इन बस्तियों को उक्त समस्या का तत्काल समाधान प्रदान करने हेतु तेलंगाना राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल के कवरेज में सुधार करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करता है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की योजना बनाती हैं, उनका डिजाइन करती हैं, निष्पादन और उनका प्रचालन करती हैं।

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्यों को आबंटित 67% निधि का उपयोग आर्सेनिक और फ्लोराइड को प्राथमिकता देने के साथ कवरेज और जल गुणवत्ता समस्याओं हेतु किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5% जल गुणवत्ता हेतु चिह्नित किया जाता है और उन राज्यों को आबंटित किया जाता है जहां अत्यधिक रासायनिक संदूषण से प्रभावित बसावटें हैं और जापानी एनसेफेलाइटिस/तीव्र ऐनसेफेलाइटिस सिन्ड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन की शुरूआत की है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन के लिए 1000 करोड़ रु. चिह्नित किए गए हैं।

(ख) राज्यों द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2017 को मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में दी गई सूचना के अनुसार तेलंगाना राज्यों सहित आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** पर है।

(ग) फरवरी/मार्च, 2017 के दौरान राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन निधियों के तहत तेलंगाना राज्य की 30 जारी स्कीमों को पूरा करने हेतु 12.62 करोड़ रु. की राशि तक की निधियां जारी की गई हैं। तत्पश्चात 27 नई नल जल आपूर्ति स्कीमों के माध्यम से 966 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए पहली किश्त के भाग के रूप में जुलाई, 2017 को 171.9 करोड़ रु. जारी किए गए।

******

दिनांक 17/07/2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 1 अप्रैल,2017 को मंत्रालय के आईएमआईएस में राज्यों द्वारा दी गई सूचना अनुसार तेलंगाना राज्य सरकार सहित आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	फ्लोराइड	आर्सेनिक
		बसावटें	बसावटें
1	अंडमान और निकोबार	-	-
2	आंध्र प्रदेश	352	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4	असम	291	4,523
5	बिहार	901	877
6	छत्तीसगढ़	406	20
7	गोवा	-	-
8	गुजरात	-	-
9	हरियाणा	119	-
10	हिमाचल प्रदेश	-	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	5	-
12	झारखंड	610	102
13	कर्नाटक	745	4
14	केरल	68	1
15	मध्य प्रदेश	174	-
16	महाराष्ट्र	82	-
17	मणिपुर	-	-
18	मेघालय	-	-
19	मिजोरम	-	-
20	नागालैंड	-	-
21	ओडिशा	106	-
22	पुडुचेरी	-	-
23	पंजाब	310	752
24	राजस्थान	6,695	-
25	सिक्किम	-	-
26	तमिलनाडु	-	-
27	तेलंगाना	1,028	-
28	त्रिपुरा	-	-
29	उत्तर प्रदेश	179	748
30	उत्तराखंड	-	-
31	पश्चिमी बंगाल	1,421	11,232
कुल		**13,492**	**18,259**